(भारत के राजपत्र के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
*****

दिनांक: ०१ मार्च, 2026

संकल्प

सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति): राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 22.06.2023 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2025-26 से हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं हिंदी में अनूदित पुस्तक हेतु संशोधित **"राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"** लागू की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब भारत के नागरिकों को निम्नलिखित श्रेणियों और विषयों पर पुरस्कार दिए जाएंगे:-

(क) इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ख) विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(ग) संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।

(घ) 'ग' क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।

(ङ) हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार – कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

2. नाम: इस योजना का नाम **'राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना'** है।

3. **परिभाषाएँ: इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-**

(i) "योजना'' का अभिप्राय है:- उपर्युक्त (क) से (ग) तक की श्रेणियों में उल्लिखित विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में लिखित पुस्तक। साथ ही संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों की हिंदी में अनूदित पुस्तकों संबंधी "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"।

(ii) "मौलिक'' से अभिप्राय है:- मूल रूप से हिंदी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक।

(iii) "अनूदित" से अभिप्राय है - भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनूदित पुस्तक या अनूदित क्लासिक साहित्य की पुस्तक।

(iv) "पुस्तक'' से अभिप्राय है:- प्रकाशित पुस्तक।

(v) "वर्ष'' से अभिप्राय है:- (क) योजना वर्ष - वित्तीय वर्ष (ख) प्रकाशन वर्ष - कैलेंडर वर्ष'।

(vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से अभिप्राय है:-
(क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।
(ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओड़िशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)

(vii) अनुवाद के विषय से अभिप्राय है :-
(क) संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों क्लासिक साहित्य एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद।

(ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।

4. **उद्देश्य:**

(क) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है। तकनीकी, विज्ञान, न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान, पुलिस प्रशासन, संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर इत्यादि संबंधी विषयों एवं विधि के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आ रही है क्योंकि इन विषयों पर पुस्तकों की कमी है। साथ ही, इन विषयों की हिंदी शब्दावली से कम परिचित अथवा परिचित नहीं होने के कारण सरकारी कामकाज को हिंदी में करने में कार्मिकों को कठिनाई आती है।

(ख) 'ग' क्षेत्र के लेखकों को हिंदी में मूल लेखन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक नई श्रेणी शामिल की जा रही है।

(ग) इसके अलावा अनुवाद अंग्रेजी तथा अनुसूचित भारतीय भाषाओं के ज्ञान व साहित्य को हिंदी भाषी समुदाय तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण साधन है। विगत वर्षों में कई अच्छी अनूदित पुस्तकें भी प्राप्त होती रही हैं जिन्हें इस श्रेणी का पुरस्कार न होने की स्थिति में शामिल नहीं किया जा सका। माननीय गृह मंत्री जी की संकल्पना भारतीय भाषाओं और हिंदी में समन्वय बढ़ाने की रही है। अतः इन पुरस्कारों के अंतर्गत अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी में अनूदित पुस्तकों की एक नई श्रेणी को शामिल किया जा रहा है। इस प्रकार उक्त विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं उत्कृष्ट अनूदित कृतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग ने यह योजना आरंभ की है।

(घ) केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित अलग-अलग पुरस्कार योजना के लिए केवल राजभाषा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। भविष्य में किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा हिंदी संबंधी अन्य पुरस्कार योजना शुरू करने से पूर्व राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से परामर्श करना अनिवार्य होगा, ताकि पुरस्कार योजना की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

5. **पुरस्कार विवरण:**

	पुरस्कार योजना का नाम	**कुल पुरस्कारों की संख्या**	**देय राशि, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न**
क	**इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार**	**प्रथम पुरस्कार (एक)**	**₹2,00,000/- (दो लाख रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न**
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	**₹1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न**
		तृतीय पुरस्कार (एक)	**₹75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न**
		प्रोत्साहन पुरस्कार (तीन)	**₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न**

ख	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ग	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
घ	'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
ङ	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार – कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (दो)	₹40,000/- (चालीस हजार रुपये), प्रोत्साहन प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

6. **पात्रता:**

(i) लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक भारत का नागरिक होना चाहिए।
(ii) पुस्तक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विषय पर लिखी अथवा अनूदित होनी चाहिए।

7. **सभी श्रेणियों के लिए सामान्य शर्तें:**

(i) पुस्तक के एक से अधिक लेखक/अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह- अनुवादक द्वारा अलग-अलग प्रपत्र (प्रोफॉर्मा) भरा जाए।
(ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए केवल वही पुस्तकें स्वीकार्य हैं जो लेखक/अनुवादक की मौलिक कृति/अनुवाद हो।
(iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपरि-विषयक योजना के अंतर्गत पुरस्कार की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया हो तो इसकी सूचना लेखक/अनुवादक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
(iv) योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

(v) पुस्तक की विषय-वस्तु समीक्षात्मक एवं विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पीएचडी के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी पुस्तक इस पुरस्कार योजना हेतु पात्र नहीं होगी।

(vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से संबंधित शर्तें :-
(क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।
(ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो (प्रमाण के रूप में 10 वीं व 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति अपेक्षित है)। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य तथा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओड़िशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)

(vii) अनुवाद की श्रेणी से संबंधित शर्तें :
(क) इसके अंतर्गत संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद शामिल है।
(ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।
(ग) इस श्रेणी के तहत लेखक को अनूदित पुस्तक के साथ-साथ उसकी मूल भाषा की पुस्तक की चार-चार प्रतियाँ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
(घ) प्रारम्भ में विगत दो वर्ष की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें प्रविष्टि हेतु आमंत्रित की जाएंगी। तत्पश्चात वर्ष 2027 से एक वर्ष पहले अर्थात संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान अनूदित व प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य होंगी।

(viii) लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक पुस्तक में दिए गए आँकड़ों, तथ्यों आदि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं उनके प्रमाण में जहाँ तक संभव हो, संदर्भ देंगे।

(ix) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सह-लेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सह-लेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी।

(x) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।

(xi) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(xii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बाँट दी जाएगी।

(xiii) पुरस्कार योजना के अंतर्गत केवल आईएसबीएन (ISBN) वाली पुस्तकों को ही शामिल किया जाएगा।

8. प्रविष्टि भेजने की विधि:

(i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाए अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियाँ भेजी जाएं। प्रतियाँ वापस नहीं की जाएंगी।

(iii) विधिवत भरा हुआ प्रविष्टि प्रपत्र विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक पहुँच जानी चाहिए।

(iv) एक लेखक/अनुवादक केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

9. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी। समिति में आवश्यकतानुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर-सरकारी, प्रतिष्ठित विद्वान/विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकते हैं। समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i)	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	अध्यक्ष
(ii)	दो गैर सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे	सदस्य
(iii)	निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन) अथवा विभाग द्वारा नाम-निर्देशित विभाग में कार्यरत समकक्ष अधिकारी	सदस्य-सचिव

(i) प्रविष्टि भेजने वाले लेखक/अनुवादक के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में शामिल नहीं किए जाएंगे।

(ii) प्रविष्टियों के मूल्यांकन हेतु विषय से संबंधित मंत्रालय/विभाग के एक पदाधिकारी को मूल्यांकन समिति में जगह दी जा सकती है।

(iii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय लेने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले।

(iv) मूल्यांकन के मानदंड मूल्यांकन समिति स्वयं निर्धारित करेगी।

(v) पुरस्कार प्रदान करने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(vi) मूल्यांकन समिति में शामिल सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है। समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे।

(vii) मूल्यांकन समिति के बाहरी विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी पात्र होंगे।

(viii) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा लिया जाएगा।

10. **पुरस्कार विजेताओं और पुरस्कार वितरण के बारे में घोषणा:**

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र/ईमेल द्वारा भेजी जाएगी तथा उसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

11. **सामान्य सूचना:**

(i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक/अनुवादक/प्रकाशक का कॉपीराइट बना रहेगा।

(ii) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित अथवा वायुयान (इकोनोमी श्रेणी) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में किसी प्रकार का कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।

12. **योजना को शिथिल करने का अधिकार:**

जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इस संकल्प के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

*****

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(डॉ. निधि पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार, मुद्रणालय
मिंटो रोड, नई दिल्ली – 110002

संख्या: 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) नई दिल्ली, दिनांक०१ मार्च, 2026

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्यान्वयन-2), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प के माध्यम से संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. नीति आयोग, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियाँ)
13. निदेशक, जन संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
15. सचिव (राजभाषा) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा विभाग (नीति अनुभाग) के लिए
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राजभाषा विभाग: इस संकल्प को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. निधि पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक

"भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना"

प्रपत्र

कृपया संबंधित पुरस्कार योजना, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को चिह्नित करें।

(क)	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	
(ख)	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	
(ग)	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।	
(घ)	'ग' क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।	
(ङ)	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार – कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	

1. पुरस्कार योजना का वर्ष :
.....
2. पुस्तक का नाम :
.....
3. (i) लेखक/सह-लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक का नाम :
.....
(ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) :
.....
.....
(iii) दूरभाष: ....
(iv) मोबाइल संख्या ..... ईमेल
.....
4. (i) प्रकाशक का नाम..... .....
(ii) प्रकाशक का पूरा पता.
.....
(iii) प्रकाशन का वर्ष.....
5. क्या मौलिक पुस्तक/अनूदित पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
हाँ/नहीं
यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा
दें.....
.....
.....
.....

6. लेखक की मातृभाषा ('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए) .....

7. क्या 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है ? हाँ/नहीं .....('ग' क्षेत्र के लेखकों के लिए)

8. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि-

(i) मैं .....पुत्र/पुत्री श्री ..... भारतीय नागरिक हूँ।

(ii) मैंने पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी/अनूदित की है।

(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। पुस्तक में दिए गए आँकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।

9. मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं उपर्युक्त मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थान.....
दिनांक .....

लेखक/सह लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक के हस्ताक्षर

नोट 1. जो लागू न हो, उसे काट दें।

नोट 2. पुस्तक के एक से अधिक लेखक/ अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।

*****